राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2327/2024

रवि प्रकाश पुरोहित पुत्र गोपाल पुरोहित, आयु लगभग 30 वर्ष, (जन्म तिथि 19-06-1984), निवासी दामाजी की हवेली के पास, भट्टो का मोहल्ला, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़।

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, अपने सचिव के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री हनुमान सिंह

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री मानवेंद्र सिंह भाटी

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश मेहता

आदेश

रिपोर्ट योग्य **03/05/2024**

1. याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी - राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (जिसे आगे 'बोर्ड' कहा जाएगा) द्वारा अभ्यर्थी की आयु सीमा के लिए निर्धारित कट

ऑफ तिथि (01.01.2025) को चुनौती दी है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह ने पृष्ठभूमि तथ्यों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रस्तुत किया कि भर्ती अधिसूचना संख्या 2607 दिनांक 06.10.2023 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार पशु परिचारक के पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को दिनांक 13.10.2023 से अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना था। उन्होंने रेखांकित किया कि उक्त भर्ती अधिसूचना में अभ्यर्थियों की आयु निर्धारित करने के उद्देश्य से कट ऑफ तिथि 01.01.2024 निर्धारित की गई थी।

3. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संभवतः विधानसभा चुनावों के कारण भर्ती प्रक्रिया स्थगित रखी गई थी और उसके बाद, अधिसूचना संख्या 2710 दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से संशोधित विज्ञापन के रूप में एक शुद्धिपत्र जारी किया गया था, जिसमें आयु सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक तिथि को बदलकर 01.01.2025 कर दिया गया था और फॉर्म जमा करने की विंडो 19.01.2024 और 17.02.2024 के बीच खोली गई थी।

4. यह सूचित करते हुए कि याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 19.06.1984 है, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि शुरू में जारी अधिसूचना (06.10.2023 को) के अनुसार, याचिकाकर्ता ऊपरी आयु सीमा के भीतर था और इस प्रकार आवेदन करने के लिए पात्र/हकदार था, लेकिन 12.01.2024 को अधिसूचित संशोधित विज्ञापन के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता अपात्र हो गया, क्योंकि कट ऑफ तिथि को बदलकर 01.01.2025 कर दिया गया है।

5. यह मानते हुए कि 12.01.2024 की बाद की अधिसूचना केवल पिछली अधिसूचना में एक संशोधन थी, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि किसी भी कारण से, यदि बोर्ड को आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाने की

आवश्यकता थी, तो कट ऑफ तिथि को बदला नहीं जा सकता था और किसी भी मामले में इसे इस तरह से नहीं बदला जा सकता था कि पात्र उम्मीदवार अपात्र हो जाएं।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कट ऑफ तिथि, जिसे बोर्ड द्वारा परिवर्तित किया गया है, राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 (जिसे आगे '1977 के नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 10 के खंड (xv) के अनुरूप नहीं है, जिसके अनुसार, एक व्यक्ति जो 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर माना जाता था।

7. श्री भाटी, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता - बोर्ड ने सबसे पहले यह आपत्ति उठाई कि याचिकाकर्ता अपना आवेदन पत्र जमा किए बिना ही इस न्यायालय में आ गया है। यह तर्क दिया गया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17.02.2024 थी, जबकि याचिकाकर्ता ने यह मानते हुए कि उसका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी, 14.02.2024 को वर्तमान रिट याचिका पेश की है। दूसरे शब्दों में, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को अपना आवेदन पत्र जमा करना चाहिए था और अपनी पात्रता के बारे में बोर्ड के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी।

8. प्रतिवादी के विद्वान वकील - बोर्ड ने फिर योग्यता के आधार पर इस मुद्दे को शामिल किया और 1977 के नियमों के नियम 10 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया कि आयु सीमा से संबंधित प्रावधान के अनुसार, एक उम्मीदवार जो आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम

तिथि के बाद अगली जनवरी के पहले दिन 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, वह अयोग्य होगा। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17.02.2024 कर दी गई है, स्वाभाविक रूप से, ऊपरी आयु सीमा से संबंधित प्रावधान को संशोधित या उपयुक्त रूप से बदलना होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोर्ड ने जो कुछ भी किया है, वह 1977 के नियमों के आदेश का पालन करने के लिए किया है। इस प्रकार, उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि बोर्ड द्वारा परिवर्तित तिथि (01.01.2025) 1977 के नियमों के नियम 10 के अनुसार है, इसलिए बोर्ड की कार्रवाई में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

9. विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हिरंद्र कुमार बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय (2020) 17 एससीसी 401 पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत याचिका में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10. प्रतिउत्तर में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान सिंह ने कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 23.09.2008 की अधिसूचना का हवाला दिया तथा तर्क दिया कि इस अधिसूचना के अनुसार, यदि भर्ती तीन वर्ष तक नहीं होती है, तो अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में उनकी आयु के आधार पर पात्र माना जाना चाहिए, बशर्ते कि उनकी आयु 3 वर्ष से अधिक न हो गई हो।

11. स्थगन आवेदन पर पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा उस पर विचार किया।

12. जहां तक बोर्ड द्वारा उठाई गई पहली आपत्ति का संबंध है कि याचिकाकर्ता

को पहले अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था तथा उसके पश्चात, यदि उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत हो जाती है, तो उन्हें इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, यह इस न्यायालय को अधिक अपील नहीं करता। यदि दिनांक 12.01.2024 की संशोधित अधिसूचना के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाए, तो स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की आयु अधिक हो गई है, क्योंकि कट ऑफ तिथि 01.01.2025 निर्धारित की गई है।

13. इसलिए, यदि याचिकाकर्ता का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जाता है कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र के लिए कार्यक्रम के पूर्वनिर्धारित मापदंडों के कारण अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने में असमर्थ था, तब भी, इस न्यायालय के अनुसार, यदि विज्ञापन को सरलता से पढ़ने पर किसी अभ्यर्थी को लगता है कि विज्ञापन/संशोधित विज्ञापन में दिए गए मानदंडों के कारण उसे अधिक आयु का माना जाएगा, तो वह उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान कर सकता है, इस तर्क के साथ कि बोर्ड या भर्ती एजेंसी द्वारा तय किए गए मानदंड मनमाने हैं या कानून के अनुरूप नहीं हैं।

14. अस्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना, यदि याचिकाकर्ता ने बहुत सावधानी से रिट याचिका दायर की है, तो उस पर जल्दबाजी में निर्णय लेने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उसकी याचिका को समय से पहले खारिज नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब प्रतिवादी - बोर्ड ने एक विशिष्ट दलील के साथ जवाब दाखिल किया हो कि याचिकाकर्ता की आयु अधिक हो गई है।

15. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 17.02.2024 थी और याचिकाकर्ता ने 14.02.2024 को वर्तमान रिट याचिका दायर की है; उसके अधिकार, यदि कोई हों, तो कानून से प्राप्त नहीं किए जा सकते, केवल इसलिए कि उसने आवेदन पत्र भरे बिना या भरने का विकल्प चुने बिना

वर्तमान रिट याचिका दायर करने का विकल्प चुना है। इसके अलावा, तत्काल रिट याचिका, संबंधित प्रश्न के लिए, विचार और विस्तृत विचार-विमर्श के योग्य है।

16. उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी बोर्ड ने रिट याचिका पर जवाब दाखिल किया है, जिसमें उसने न केवल कट ऑफ तिथि (01.01.2025) को उचित ठहराया है, बल्कि यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता अयोग्य है।

17. ऐसी स्थिति में, श्री भाटी के पहले तर्क के बावजूद, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता की पात्रता की जांच करनी है और इस मुद्दे को हल करना है, जो न्यायालय के विचार के लिए सामने आया है।

18. मामले की मेरिट पर आगे बढ़ते हुए, निर्विवाद तथ्य यह है कि, भर्ती अधिसूचना सबसे पहले 06.10.2023 को जारी की गई थी, जिसमें ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए पोर्टल 13.10.2023 से 11.11.2023 तक खोला जाना था; भर्ती की प्रक्रिया को कुछ समय के लिए निष्क्रिय रखा गया था, जिसे बाद में 12.01.2024 को संशोधित अधिसूचना जारी होने पर पुनर्जीवित किया गया था। विवाद का मूल कारण, दिनांक 12.01.2024 की अनुवर्ती अधिसूचना का पैरा संख्या 3 है, जो इस प्रकार है:-

> 3. उक्त विज्ञापन के बिन्दु संख्या 09 आयु में आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 01.01.2024 से किये जाने का प्रावधान किया गया था, नियमों में उल्लेखित अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् आने वाली आगामी जनवरी की प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है।

अतः अब आवेदकों की आयु की गणना दिनांक 01.01.2025 से की जावेगी।

19. बोर्ड द्वारा 1977 के नियम 10 की भावना के अनुरूप कट ऑफ तिथि को पुनः निर्धारित करने में तकनीकी रूप से सही हो सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में, नियमों के एक भाग का पालन करना अन्य प्रावधानों और कानून के विपरीत, यदि विनाशकारी न हो तो अन्यायपूर्ण हो सकता है।

20. आइए हम एक ऐसा मामला लें जिसमें शुरू में तय की गई अंतिम तिथि किसी विशेष वर्ष की 25 दिसंबर थी और किसी भी कारण से, यदि अंतिम तिथि किसी भी तिथि, जैसे कि अगले वर्ष की 5 जनवरी तक बढ़ा दी जाती है, तो यह न्यायालय प्रतिवादियों से एक प्रश्न पूछेगा कि "क्या वे कट ऑफ तिथि को एक वर्ष तक बढ़ा देंगे और उन उम्मीदवारों को, जो अन्यथा पात्र थे, अपात्र घोषित कर देंगे?"।

21. उत्तर स्वाभाविक रूप से नकारात्मक होगा - यह किसी भी नियम का विचार/इरादा नहीं हो सकता है। यदि नियमों की शाब्दिक व्याख्या से कुछ अस्पष्टता, अन्याय, असुविधा, कठिनाई या असमानता उत्पन्न होती है, तो ऐसी सभी घटनाओं में शाब्दिक अर्थ से बचते हुए, इस प्रकार से उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की जानी चाहिए कि कानून का उद्देश्य पूरा हो। नियमों की व्याख्या इस प्रकार से की जानी चाहिए कि वह शरारत को परास्त या दबा दे तथा कारण को आगे बढ़ाए या उपाय को आगे बढ़ाए। नियमों को सामंजस्यपूर्ण रूप दिया जाना चाहिए। और तदनुसार, कोई अभ्यर्थी, जो विज्ञापन जारी होने की तिथि पर अन्यथा पात्र है, उसे केवल प्रक्रिया के स्थगन की आकस्मिक परिस्थिति के कारण, बाद की अधिसूचना द्वारा विचार के क्षेत्र से बाहर नहीं किया जा सकता।

22. सही दृष्टिकोण के रूप में, बोर्ड को यह प्रावधान करना चाहिए था कि प्रारंभिक विज्ञापन (दिनांक 06.10.2023) के अनुसार पात्र सभी अभ्यर्थियों को पात्र माना जाएगा, जबकि कट ऑफ तिथि 01.01.2025 निर्धारित की जानी चाहिए। इससे शायद उद्देश्य पूरा हो जाता और अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाई और असुविधा से बचा जा सकता था।

23. यह ध्यान देने योग्य है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 और विज्ञापन दिनांक 06.10.2023 के पैरा संख्या 8 का संदर्भ देते हुए, याचिकाकर्ता ने एक विशिष्ट दलील दी है कि वह अधिक आयु का नहीं हुआ है और उक्त पैरा का उत्तर प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा इस विशिष्ट रुख के साथ दिया गया है कि चूंकि कट ऑफ तिथि बदलकर 01.01.2025 कर दी गई है, इसलिए याचिकाकर्ता आयु के आधार पर अयोग्य है।

24. प्रतिवादी-बोर्ड का रुख स्पष्ट रूप से विज्ञापन दिनांक 06.10.2023 के पैरा 8 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी दिनांक 23.09.2008 की अधिसूचना के विपरीत है, जिसे नियम 1977 के नियम 10 के XVवें परंतुक के रूप में शामिल किया गया है।

25. नियम 1977 के नियम 10 के खंड (xv) या xvवें परंतुक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है तथा नियम 10 के आरंभिक भाग को इस परंतुक से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता है। यह न्यायालय इसे उद्धृत करना चाहेगा:-

> "बशर्ते -
>
> . . . . . .
>
> . . . . . .

(xv) जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था,

उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर माना जाएगा।"

26. उपरोक्त खंड (xv) के संबंध में, प्रतिवादी-बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता श्री भाटी का तर्क था कि इस तरह की प्रविष्टि दिनांक 23.09.2022 की अधिसूचना के माध्यम से की गई थी, शायद महामारी (कोविड-19) को ध्यान में रखते हुए।

27. न तो उपरोक्त प्रावधान की भाषा, और न ही रिकॉर्ड पर रखी गई कोई सामग्री यह दर्शाती है कि इस तरह का प्रावधान महामारी के फैलने के कारण उम्मीदवारों द्वारा सामना की जाने वाली प्रतिकूलताओं या कठिनाइयों को दूर करने के लिए डाला गया था। भले ही ऐसा हो, अगर राज्य सरकार ने अपने विवेक से स्पष्ट शब्दों में प्रावधान किया है कि जो व्यक्ति 31.12.2020 को आयु सीमा के भीतर था, उसे 31.12.2024 तक आयु सीमा के भीतर माना जाएगा, तो इसे इसका स्वाभाविक अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए। भर्ती एजेंसी को उम्मीदवारों के अनुकूल न होने के लिए विधायिका के मन को स्कैन या पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा योग्य हैं। 28. जिस निर्णय पर श्री भाटी ने इतनी उत्सुकता से भरोसा किया है, वह उनके लिए बहुत मददगार नहीं है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि भर्ती करने वाली एजेंसी कट ऑफ तिथि तय कर सकती है। कट ऑफ तिथि तय करने के बोर्ड के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है - मुख्य प्रश्न यह है कि - इस तरह के मामले में, जिस पर यह न्यायालय विचार कर रहा है, यदि किसी कारण से आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ जाती है, तो क्या आयु सीमा निर्धारित करने की कट ऑफ तिथि को बदला या स्थगित किया जा सकता है और यदि हां, तो क्या यह उन उम्मीदवारों के लिए हानिकारक हो सकता है जो मूल विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र थे?

29. यह उचित है कि दिनांक 06.10.2023 की पिछली अधिसूचना को न तो वापस लिया गया और न ही नया विज्ञापन जारी किया गया।

30. प्रतिवादी का यह कहना कि याचिकाकर्ता की आयु 01.01.2025 के अनुसार निर्धारित की गई है, तो वह अधिक आयु का हो गया है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से नियम 10 के (xv) प्रावधान के विरुद्ध है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

31. मामले का एक और पहलू भी है। यदि ध्यान से देखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि 12.01.2024 की बाद की अधिसूचना केवल एक संशोधन अधिसूचना (संशोधित विज्ञप्ति) है, जिसके द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन पिछली अधिसूचना का सार, रक्त और आत्मा बरकरार है। दिनांक 06.10.2023 के विज्ञापन के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

> 8. आयुः- आवेदक 1, जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2022 द्वारा विभिन्न सेवा नियमो में संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। इसी अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट निम्नानुसार और देय होगी:- The person who was within the age limit on 31.12.2020 shall be deemed to be within the age limit upto 31.12.2024."

32. इसलिए दिनांक 12.01.2024 की अनुवर्ती अधिसूचना से 1 जनवरी, 2024 की कट ऑफ तिथि को बदलकर 1 जनवरी, 2025 कर दिया गया है तथा मूल विज्ञापन अधिसूचना का शेष भाग अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए

दिनांक 06.10.2023 के विज्ञापन के पैरा संख्या 8 के अनुसार याचिकाकर्ता को अपात्र नहीं कहा जा सकता।

33. पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि याचिकाकर्ता की आयु अधिक नहीं हुई है तथा इसलिए वह विचाराधीन भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र है।

34. इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

35. प्रतिवादी - बोर्ड को याचिकाकर्ता के ऑफलाइन आवेदन पत्र को स्वीकार करने तथा उसे लिखित परीक्षा सहित आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया जाता है।

36. याचिकाकर्ता को दिनांक 20.05.2024 को या उससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव से संपर्क करना होगा तथा अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने पर बोर्ड द्वारा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु ऑफलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा; अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, याचिकाकर्ता का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा तथा उस पर कार्रवाई की जाएगी।

37. तदनुसार, स्थगन आवेदन का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), न्यायाधीश

(यह अनुवाद एआई टूलः SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।